

NHB (ND)/GSD/OUT06051 /2022
September 02, 2022

**All Primary Lending Institutions (PLIs)
who have executed MoU with NHB for PMAY-CLSS**

Madam/Sir,

**Reply to RTI Applications/ Queries/ Grievances regarding interest subsidy
under CLSS for MIG**

It has been observed that in case of CLSS for MIG under PMAY-U, while addressing RTI Applications/ Queries/ Grievances etc. regarding status of subsidy, PLIs are stating that interest subsidy will be released upon receipt of subsidy from the CNA.

In this regard, it is mentioned that Credit Link Subsidy Scheme for Middle Income Group (CLSS for MIG) was effective from 01.01.2017 and was operational up to 31.03.2021. No funds for CLSS for MIG are being released from the Ministry after the FY 2020-21.

Accordingly, it is requested that PLIs may frame appropriate replies while addressing RTI Applications/ Queries/ Grievances etc. with regard to status of subsidy under CLSS for MIG.

Yours faithfully,


Sourav Seal
Deputy General Manager

रा.आ.बैंक (नदी)/जीएसडी/आउट 0605/2022
02 सितंबर, 2022

सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) जिन्होंने पीएमएवाई-सीएलएसएस के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है

महोदया/महोदय,


मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) हेतु ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के संबंध में आरटीआई आवेदनों/प्रश्नों/शिकायतों का जवाब

यह देखा गया है कि पीएमएवाई-यू के तहत एमआईजी के लिए सीएलएसएस के मामले में, सब्सिडी की स्थिति के संबंध में आरटीआई आवेदनों/प्रश्नों/शिकायतों आदि को संबोधित करते समय, पीएलआई का कहना है कि सीएनए से सब्सिडी मिलने पर ब्याज सब्सिडी जारी की जाएगी।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि मध्यम आय वर्ग (एमआईजी के लिए सीएलएसएस) के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना 01.01.2017 से प्रभावी थी और 31.03.2021 तक कार्यान्वयित की गयी। वित्त वर्ष 2020-21 के बाद मंत्रालय की ओर से मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) हेतु ऋण आधारित सब्सिडी योजना के लिए फंड जारी नहीं किया जा रहा है।

तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) हेतु ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी की स्थिति के संबंध में आरटीआई आवेदनों/प्रश्नों/शिकायतों आदि को संबोधित करते समय उचित उत्तर तैयार करें।

भवदीय,


सौरव सील
उप महाप्रबंधक